राजस्व अपील सं. 146/2025
जी.सी.एम.एस. नं. 2025/444

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 146/2025
जीसीएमएस सं. 2025/444

अपीलांटः–

नेनूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी 8 ईस्ट पटेल नगर, रातानाडा, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

1. बाबूलाल पुत्र जेताराम
2. मेकाराम पुत्र जेताराम

   जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम खेजडली कला, विश्नोईयों की ढाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. हल्का पटवारी, ग्राम खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध म्यूटेशन सं. 1828 दिनांक 02.07.2025 को तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया (जिसके प्रविष्टि सं. 1828 दिनांक 02.07.2025 अंकित है किंतु जांच व स्वीकृति दिनांक 03.07.2025 है।)

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई (अपीलांट की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (प्रत्यर्थीगण सं. 01 की ओर से)
3. प्रत्यर्थी सं. 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 12.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, लूणी द्वारा ग्राम खेजडली कला के नामांतरकरण सं. 1828 पर पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 बाबूलाल की ओर से श्री

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रोशनलाल, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 2 मेकाराम पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस तामिल हुआ, जिसके सबूत स्वरूप पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट दिनांक 20.12.2025 शामिल पत्रावली की गई।

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनानुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 ने ग्राम खेजडली कला के खसरा नं. 41, 41/1, 36 व 35 में से रास्ता प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र सं. 47/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251 ए के अंतर्गत पेश किया था, जिसमें दिनांक 02.06.2025 को आदेश पारित करके प्रार्थी के खेत खसरा सं. 32 तक पहुंचने हेतु, अपीलांट नेनूराम के खातेदारी के खेत खसरा ग्राम खेजडली कला के खसरा सं. 39 की भूमि में से तहसीलदार, लूणी की रिपोर्ट अनुसार नजरी नक्शा के बिंदु सं. A से B तक 30 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत कर दिया।

अपीलांट का कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र सं. 47/2018 में अपीलांट के खेत ख.नं. 39 में से रास्ता मांगा ही नहीं था तथा अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उक्त प्रकरण सं. 47/2018 में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित ही नहीं किया था, फिर भी अपीलांट को सुने बिना ही उपखण्ड अधिकारी ने ख.नं. 39 की भूमि में से विधि प्रकिया का उल्लंघन करते हुए रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर, अपीलांट ने एक राजस्व अपील सं. 183/2025 राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, लूणी के निर्णय दिनांक 02.06.2025 को अपास्त करने हेतु पेश की। अपीलेट न्यायालय ने दिनांक 03.07.2025 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर, उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 02.06.2025 की पालना व प्रभाव पर रोक लगा दी थी। अपीलांट ने दिनांक 03.07.2025 को ही उक्त स्थगन आदेश की सूचना पटवारी, खेजडली कला को दे दी थी, परंतु पटवारी व तहसीलदार, लूणी ने बेक डेट में अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1828 दर्ज कर दिनांक 03.07.2025 को स्वीकृत करके, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 अनुसार अपीलांट के खेत खसरा नं. 39 में से 0.0596 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता, राजकीय सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी तथा नक्शा किश्तवार में भी तरमीम कर दी। अतः उक्त अवैध रूप से स्वीकृत नामांतरकरण को अपास्त किया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सपठित 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा प्रकरण सं. 47/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 को, अपीलेट न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील सं. 183/2025/आरटीए/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2025 से अपास्त कर दिया है। अतः जिस आदेश दिनांक 02.06.2025 के तहत अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1828 दिनांक 03.07.2025 पारित किया गया है, वह आदेश अब अस्तित्व में ही नहीं है। अतः अवैध इन्द्राजों को रिकॉर्ड से हटाने हेतु यह अपील स्वीकार की जावे।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1828, उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्थान टिनेंसी एक्ट् 1955 की धारा 251ए के तहत पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 की पालना में तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को स्वीकृत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा पारित आदेश दिंनाक 02.06.2025 को अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2025 से अपास्त कर दिया गया है। अतः यह अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अगर अब भी अपीलांट का कोई वादकारण शेष रहता है, तो उसे उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष सी.पी.सी. की धारा 144 के तहत रेस्टीट्यूशन का प्रार्थना पत्र दाखिल करना चाहिए।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर, मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1828 दिनांक 03.07.2025 से, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251–ए के तहत प्रकरण सं. 47/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 की पालना में ग्राम खेजडली कला के खसरा सं. 39 में से 0.0596 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता, राजकीय सिवायचक दर्ज की है। ख.नं. 39 अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 02.06.2025 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में राजस्व अपील सं. 183/2025/आरटीए/जोधपुर में दिनांक 03.07.2025 को अपील दर्ज हुई है तथा अपील को निर्णय दिनांक 18.11.2025 से स्वीकार किया जाकर, उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा प्रकरण सं. 47/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 को अपास्त किया जा चुका है। इस दौरान दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

17.07.2025 को यह अपील तहसीलदार, लूणी द्वारा नामांतरकरण सं. 1828 पर पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश हुई है। तहसीलदार, लूणी ने अपीलाधीन नामांतरकरण से राजस्व नक्शों व रिकॉर्ड में अमल दरामद करके ग्राम खेजडली कला के ख.नं. 39 के नक्शे में रास्ता के रूप में उसे तरमीम भी कर दी है। निर्विवाद रूप से अपीलांट ख.नं. 39 का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उपखण्ड अधिकारी कोर्ट में अपीलांट को प्रत्यर्थीगण ने आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे अपीलांट के हित/अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए है तथा अपीलांट व्यथित व्यक्ति है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को यह अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। चूंकि निर्विवाद रूप से उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 02.06.2025 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.11.2025 से अपास्त कर दिया गया है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.11.2025 को अपीलेट न्यायालय द्वारा स्थगित करने का कोई आदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 02.06.2025 की पालना में राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजात निष्प्रभावी हो चुके है तथा ऐसे इन्द्राजों को रिकॉर्ड में यथावत रखना न्यायोचित नहीं है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी फिस्कल प्रोसिडिंग मात्र है तथा समय समय पर सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित आदेशानुसार निरंतर परिवर्तित होती रहती है तथा राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन रखना ही नामांतरकरण का उद्देश्य है।

9. यह अपील दिनांक 17.07.2025 को पेश की गई है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 18.11.2025 को अपीलांट की अपील स्वीकार की है तथा नामांतरकरण सं. 1828 पर पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 निष्प्रभावी हो गया है। अतः मात्र रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति को बहाल करने हेतु अपीलांट को धारा 144 सीपीसी के तहत रेस्टीट्यूशन के लिए उपखण्ड अधिकारी, लूणी के पास वैकल्पिक उपचार हेतु निर्देशित करना न्यायोचित नहीं है। मात्र न्यायिक प्रक्रिया के अधीन अपीलांट को दर–दर भटकने हेतु मजबूर किया जाना न्यायेचित नहीं है। यह न्यायालय नामांतरकरण की अपील सुनने हेतु सक्षम है। अतः प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलील से हम असहमत है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है तथा नामांतरकरण सं. 1828 पर पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 अपास्त योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश

11. परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम खेजडली कला के नामांतरकरण सं. 1828 (ख.नं. 39) पर तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, लूणी को इस निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेखों/नक्शें में तरमीम के इन्द्राज अपीलांट के नाम पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

12. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी को लौटाया जावे।

13. निर्णय की प्रति मय नामांतरकरण सं. 1828 दिनांक 03.07.2025 श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, जोधपुर को भेज कर निवेदन है कि इस प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपील सं. 183/2025/आरटीए/जोधपुर में दिनांक 03.07.2025 को आदेश पारित कर, उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा प्रकरण सं. 47/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 की पालना व प्रभाव पर स्थगन आदेश जारी किया था। तहसीलदार, लूणी ने दिनांक 03.07.2025 को ही, राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 121(3) के तहत भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही, सीधे ही अपने स्तर से उक्त नामांतरकरण स्वीकार किया है, जो स्पष्टतः नियमों की अवहेलना करने की परिभाषा में आता है तथा तहसीलदार, लूणी का इस प्रकार का कृत्य गंभीर दुराचरण है। अतः प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करावे। पटवारी द्वारा यह नामांतरकरण दिनांक 02.07.2025 को ही दर्ज किया है।

14. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

15. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर